परिपत्र संख्या– 33 प्रोबेशन–5 / 2019

प्रेषक,

पुलिस महानिदेशक / महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त कार्यालयाध्यक्ष,
कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश।

दिनांक 18 अक्टूबर, 2019

विषयः– प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दियों की समयपूर्व रिहाई / मुक्ति के सम्बन्ध में।

आप अवगत हैं कि प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दियों की समयपूर्व रिहाई / मुक्ति शासन द्वारा निर्धारित प्रकियाओं यथा–फार्म 'ए', नामिनल रोल, दयायाचिका, इनफरमिटी रोल एवं स्थाई नीति के अन्तर्गत की जाती है। उक्त विभिन्न प्रकियाओं के अन्तर्गत बन्दियों की समयपूर्व रिहाई के प्रकरणों में बन्दी से सम्बन्धित वांछित अभिलेख यथा–जेल रिपोर्ट, घटना का संक्षित विवरण, जिला मजिस्ट्रेट / पुलिस अधीक्षक की 05 विन्दुओं पर आख्या, जिला स्तरीय समिति की रिपोर्ट, जिला प्रोवेशन अधिकारी की रिपोर्ट, बन्दी के सहअभियुक्तों का विवरण एवं अन्य वांछित अभिलेखों सहित प्रस्ताव शासन के विचारार्थ प्रस्तुत किये जाते हैं।

उक्त के दृष्टिगत अवगत कराना है कि शासन स्तर पर गठित समिति द्वारा समयपूर्व रिहाई के प्रकरणों में निम्न अभिलेखों / आख्याओं पर विशेष बल दिया जाता हैः–

(1) सभी सम्बन्धित न्यायालयों के निर्णय की पठनीय प्रति।

(2) सहअभियुक्तों का विवरण, जिसमें सहअभियुक्तों की उम्र, सजा (अपरिहार / सपरिहार), स्वास्थ्य की दशा, वर्तमान निरूद्धि की कारागार एवं यदि सिद्धदोष बन्दी रिहा हो चुका है, तो रिहाई सम्बन्धी आदेश की प्रति। (फार्म ए / नामिलन रोल / दयायाचिका / स्थाई नीति आदि के अधार पर जारी शासनादेश की प्रति संलग्न करें)

(3) घटना का संक्षित एवं स्पष्ट विवरण।

सम्बन्धित न्यायालयों के निर्णय की प्रति एवं सहअभियुक्तों का विवरण उपलब्ध न होने पर शासन द्वारा समयपूर्व रिहाई का प्रस्ताव मूलरूप में वापस कर निर्णयकी प्रति एवं सहअभियुक्तों का विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिये जाते हैं।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि सिद्धदोष बन्दियों की समयपूर्व रिहाई / मुक्ति हेतु निर्धारित उपरोक्त प्रकियाओं के अन्तर्गत वांछित अभिलेख / प्रस्ताव में सम्बन्धित मा0 न्यायालयों के निर्णयों की पठनीय प्रति एवं सहअभियुक्तों के विस्तृत विवरण सहित बन्दी का प्रस्ताव मुख्यालय भेजा जाना सुनिश्चित करें। उक्त आदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।

18/10/19

(आनन्द कुमार)
पुलिस महानिदेशक / महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश।